विधायक संवाद

वस्तु पत्र

25 years CUTS International

राजस्थान विधान सभा

Issue 02/2007

विद्युत – एक बुनियादी आवश्यकता

ऊर्जा हमारे देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा यह आर्थिक विकास की रीढ़ है। आज के वर्तमान युग में यह विभिन्न समाज सेवाओं, जैसे कि शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा एवं गरीबों का जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रभावशाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुँच न होने के कारण ग्रामीणों का जीवन स्तर निम्न हो गया है। विद्युत की कमी जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। समूची आर्थिक व्यवस्था- उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में लेकर किसानों को उत्पादन के क्षेत्र में पीछे धकेल रही है।

वर्तमान में देश के करीब 80,000 से भी अधिक गांवों में विद्युत की पहुँच नहीं है, जिनमें से करीब 18,000 गाँव ऐसे हैं, जहाँ दूरस्थ एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रिड विस्तार आर्थिक रूप से संभव नहीं है। सरकार द्वारा पहले सन् 2001 के आंकड़ों के आधार पर ऐसे गाँवों की संख्या में वृद्धि संभव है। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के 43.54 फीसदी घरों में बिजली के फायदे अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसके दो कारण हैं- एक तो ग्रामीण क्षेत्र बिजली के कनेक्शनों पर व्यय नहीं कर सकते और दूसरा विद्युत सेवाओं की कनेक्शन और विद्युत वितरण करने में अक्षमता।

राजस्थान की स्थिति

राजस्थान की मान्यता दो में से एक मुख्य प्रदेश की है (दूसरा कर्नाटक), जिसने प्रबल विद्युत संशोधन का अनुसरण किया है। राजस्थान में विद्युत संशोधन कार्यक्रम का ध्येय एक ऐसे प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुलभ वाणिज्यिक विद्युत वितरण उद्योग के विकास को बढावा देना है जो कि विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्णता से परिपूर्ण हों एवं सभी उपभोक्ताओं को सहज कीमतों पर उपलब्ध हों।

सन् 2006-07 में विद्युत की मांग चोटी पर थी, जो कि 5794 मेगावाट थी, जबकि सिर्फ 4916 मेगावाट ही उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए उपलब्ध था। राज्य 15.2 प्रतिशत विद्युत की अपर्याप्ता का सामना कर रहा है।

इन संशोधनों ने 'राजस्थान विद्युत विनियमन आयुक्त' की स्थापना करने की ओर प्रेरित किया, एक आत्मनिर्भर विनियम आयुक्त जिसके ध्येय हैं-

1. विद्युत शुल्क सूची का निर्धारण,
2. विद्युत संबंधी उत्पादन, संचारण, वितरण एवं आपूर्ति के विषय में राज्य सरकार को सहायता एवं परामर्श प्रदान करना एवं
3. निजी क्षेत्र में भागीदारी के आयामों को पहचानना एवं प्रतिस्पर्धा, कुशलता और आर्थिकता को बढावा देना।

महत्वपूर्ण मुद्दे: (अ) प्रबन्धन से सम्बन्धित

बिजली उत्पादन योजना

सरकार को राज्य के विद्युत क्षेत्र के लिए ऐसी विस्तृत विद्युत उत्पादन योजना प्रारम्भ करनी चाहिए जो कि अनुरूप विभाग की विशिष्ट, समय सीमा एवं विश्वसनीय सूचना पर आधारित हो। उनसे बिजली का उत्पादन एवं क्रय हो सकता है।

निर्वाहण एवं नवीनीकरण

विद्युत साधनों का निर्वाहण, नवीनीकरण एवं उत्पादन कई इच्छाओं को पीछे छोड़ जाता है। बिजली के क्षेत्र में ओहदे वाले व्यक्ति शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाहण की देखरेख करते हैं।

विद्युत चोरी

विद्युत की चोरी जो कि भारी नुकसानों का सूचक है, एक चिंता का विषय है। जबकि विद्युत चोरी का परिमाण करना अत्यंत मुश्किल है, फिर भी कुल 50 प्रतिशत संचारण एवं वितरण में कमी के दो कारण है- चोरी और ठगी।

इस सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा ऐसी रचना तैयार की गई है, जिससे कि एक ओहदे वाला सहायक अफसर उपभोक्ता श्रेणियों के अनुसार चोरी का पता लगाने के लिए जिम्मेवार होता है, जैसे कि घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि आदि।

इन अफसरों को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा किसी भी समय चोरी का पता लगाने के लिए, चाहे वो दिन हो या रात, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। वे कोई भी वस्तु किसी भी क्षण अपने कब्जे में कर सकते हैं और उसी क्षण दंड विषयक आरोपित कर सकते हैं जो कि सामान्य से डेढ गुना अधिक हो सकते हैं। अतिशीघ्र पीडा-मुक्ति के लिए विवाद निवारण विशेष अदालतों में होता है। कभी-कभार सहायक अफसर अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके दंड विषयक की संधि करके इच्छित थोक रकम वसूलते हैं।

संचारण एवं वितरण नुकसान

सरकार के विभिन्न परिमाणों और राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के कठोर नियमों के बावजूद विद्युत निगम इस विकट परिस्थिति से अभी तक उभर नहीं पाया है। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे और राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा तैयार की गई दिशाओं का सख्ती से अनुसरण करना होगा। राज्य में वर्तमान स्थिति में सन् 2006-07 लगभग संचारण एवं वितरण नुकसान 35 प्रतिशत है, जिसमें 50 प्रतिशत चोरी और ठगी और बाकी 50 प्रतिशत तकनीकी कारणों से हुआ है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने इसको कम करने के लिए 32 प्रतिशत का लक्ष्य सन् 2008-09 और 28.4 प्रतिशत सन् 2009-10 निर्धारित किया है।

शुल्क सूची योजना

शुल्क सूची एक योजना है, जिसमें सभी प्रतिभागियों को भाग लेना चाहिए, जिससे राजस्थान विद्युत नियामक आयोग किसी ठोस नतीजे पर पहुँच सके।

उपभोक्ता एवं दूसरे समर्थक दल हमेशा से शुल्क सूची से सम्बन्धित वाद-विवाद में भाग लेते रहे हैं, पर प्रतिनिधित्व की गुणवत्तापूर्णता के अभाव में मिश्रित मुद्दों पर उनकी समझ नहीं है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को विनियम पेशियां जो कि मिश्रित हैं, इसके लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, जिससे उनकी इच्छित सहभागिता के संपादन से प्रभावशाली नतीजे सामने आ सकें।

विद्युत जिला विचार मंच

राजस्थान एक लोक संबंधी निजी सहभागिता के प्रस्तावना की रचना विद्युत वितरण के लिए कर रहा है। पहले से शक्ति प्रदत्त कानून वाद-विवाद के अन्तर्गत सुगमता से प्रगति पर है। इस चेष्टा से विद्युत बाजार राज्य को प्रतिस्पर्धा वितरण और निजी कंपनियों के लिए चरितार्थ रोजगार के सुअवसर के नए आयाम प्रस्तुत करेगा।

(ख) वितरण संबंधी

लोक संबंधी निजी सहभागिता

राजस्थान एक लोक संबंधी निजी सहभागिता की प्रस्तावना तैयार कर रहा है। इसके लिए समर्थक कानून का ड्राफ्ट बनाया गया है जो पहले से ही विचार-विमर्श के अन्तर्गत है। यह कार्य योजना राज्य में विद्युत बाजार में नये आयाम स्थापित कर प्रतिस्पर्धा वितरण एवं निजी कंपनियों को व्यवसाय का सुअवसर प्रदान करेगी।

प्रोत्साहन संशोधन

प्रोत्साहक संशोधन दो आकारों का संयोग है- तकनीकी एवं गैर-तकनीकी। इन मुद्दों को उठाते समय तकनीक, आर्थिक, कानूनी पहलुओं से निपटने के लिए गहरी समझ और योग्यता की आवश्यकता है। इसलिए प्रतिभागियों के बीच समकक्ष प्रयास जरूरी है। अगर उपभोक्ता एवं उपभोक्ता संगठन इस कार्य प्रणाली में शामिल हो जाए तो प्रभावशाली मध्यस्थता के लिए उनको पर्याप्त साधन सहजता से उपलब्ध कराए जाएंगे।

ऊर्जा का संरक्षण

सरकार को चाहिए कि वह प्रतिभागियों को संयुक्त करके ऊर्जा के संरक्षण के लिए नीति निर्धारित करे। ऊर्जा संरक्षण के लाभ और सुविधाओं के संदर्भ में उपभोक्ता को शिक्षित करना भी सरकार की जिम्मेवारी है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

विकेन्द्रीकरण वितरण संचारण छोटे संचारित युनिटों के आधार पर साधारण वितरण के साथ हर प्रकार के साधार ऊर्जा स्त्रोतों की पहचान ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण करने के विकल्प में होनी चाहिए। इस संदर्भ में यह विहित है कि नवीन ऊर्जा स्त्रोतों की विकेन्द्रीकरित वितरित विकल्प के माध्यम से दूरस्थ व दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय उद्देश्य 'सन् 2002 से सभी के लिए बिजली' को संपादित करने के लिए प्रमाणित भूमिका का निर्वारण करते हैं।

ऊर्जा नवीनीकरण

यहां पर अनिश्चय संबंधी मुद्दे हैं (1) ऊर्जा नवीनीकरण ग्रिड विस्तार के द्वारा उत्पन्न मांग-वितरण दरार को किस हद तक भर सकता है और (2) सुगम प्रणालियों की मांग जो कि नवीनीकरण आधारित विद्युत विक्रन्द्रीकरण, संचारण और वितरण ग्रामीण विद्युतीकरण/ऊर्जा योजनाओं के संदर्भ में हों।

इन मुद्दों को इस प्रकार विस्तृत श्रेणी में रखा गया है:

1. तकनीकी विकल्प एवं उनका तकनीकी वाणिज्य सुलभता,
2. पहुँच प्रणाली एवं संस्था प्रबन्धन मांग एवं
3. ऋण संचय और आर्थिक व्यवस्था प्रणाली।

विचार-विमर्श हेतु मुद्दें

- विद्युत की कमी को मद्देनजर रखते हुए आव्यीय स्त्रोतों को योजना और जवाबदेही के निर्वाहण और नवीनीकरण के लिए कदम उठाने चाहिए। क्या संस्थागत ओर विनियम प्रणाली संरक्षण शुल्क सूची और ऊर्जा विकल्प प्रणाली के लिए पर्याप्त और कारगर नहीं है?
- भारत लंदन में किए गए विद्युत संशोधनों से प्रेरित है जहां उपभोक्ताओं के हितों के विषय में विशिष्ट कदम उठाये जाते हैं। इस संदर्भ में:
  1. राजस्थान में विद्युत संशोधनों के ऊपर क्या उपभोक्ताओं के अनुभवों पर विवरण तैयार होना चाहिए?
  2. वर्तमान संस्थागत एवं विनियम संरचना को प्रबल करने के लिए किस प्रकार उपभोक्ताओं की भूमिका निहित होनी चाहिए?
- क्या विद्युत चोरी के संदर्भ में प्रतिभागी शिक्षा के साथ कुछ ऐसे नीति निर्धारण और दंड विषयक आरोपण जैसे निवारक कदम उठाने चाहिए?
- क्या पहले एवं बाद की संशोधन अवधि में सरकार की कार्य-प्रणाली के व्यवहार में केाई प्रत्यक्ष बदलाव आया है और न्यूनतम सेवा सिद्धान्तों को स्थापित करने की आवश्यकता है?
- कृषि क्षेत्र में क्या विद्युत निगमों को विलम्ब से आर्थिक व्यय प्रदान करने से शुल्क सूची में वृद्धि हुई जो उपभोक्ताओं को बाजार से अधिक कीमतों पर उधार लेने को बाध्य कर रही है जिससे उन पर बोझ पड़ रहा है?
- सरकार ने राज्य के बजट में गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के विस्तार करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि सन् 2007 में 516 मेगावाट होगा।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
कट्स सेन्टर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट)
डी-222, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
CUTS CART